# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 24/18 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00088

उनवान

1. केदार पुत्र स्व0 श्री दामोदारलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती सुशीला पत्नी स्व0 जगदीश
2. अंजल कुमारी पुत्री स्व0 जगदीश
3. राजेन्द्र कुमार } पुत्र स्व0 जगदीश नाबालिग
4. राजू } वली माता सुशीला पत्नी
5. लवेश } स्व0 जगदीश।

} जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

6. महेश पुत्र मुकुट जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

7. मुस0 सखी पत्नी दामोदरलाल
8. सुरेश } पुत्र स्व0 दामोदरलाल
9. प्रेम }
10. मुस0 प्रियंका पत्नी स्व0 विष्णू

} समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

11. वाव्ययाकुमार पुत्री स्व0 विष्णु नाबालिग जरिये संरक्षक दादी सखी पत्नी दामोदरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बयाना जिला भरतपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बयाना दि0 27.03.2018 प्र.सं. 48/13 उनवानी जगदीश बनाम सखी।

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद कुमार उपमन वकील अपीलांट।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा एवं हेमराज शर्मा वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–10.12.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/असल रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 14 रकवा 2.05 है0 वाके कस्बा बयाना में स्थित है। विवादित आराजी में वादीगण असल रैस्पो0 व हिस्सा बराबर 1/2 भाग के व प्रतिवादी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 व हिस्सा बराबर 1/2 भाग के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः आये दिन फसल एवं फसल में हुये खर्चे को लेकर उभयपक्षकारान में झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 02.09.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2018 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 21.03.2018 की आदेशिका में अग्रिम पेशी दिनांक 11.04.2018 नियत की गयी थी। परन्तु अपीलाधीन निर्णय इससे पूर्व ही दिनांक 27.03.2018 को पारित कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारा को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने का कोई अवसर अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय भी विभाजन के नियम 18–21 की पालना नहीं की गयी एवं तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये। प्रकरण में कोई तनकीयात भी कायम नहीं की गयी है। अतः आदेश 02०नियम 05 की भी पालना नहीं की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुसार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2017(1) पेज 689 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। दिनांक 02.09.2015 को सहमति से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री हुयी। अंतिम डिक्री जिन विभाजन प्रस्तावो के आधार पर पारित की गयी है वह भी सहमति से हुयी। धारा 97 सीपीसी के तहत यदि प्राथमिक डिक्री सहमति से पारित हुयी है तो उसकी गलती के लिये अंतिम डिक्री में आपत्ति नहीं उठा सकते हैं। विभाजन पटवारी हल्का ने तैयार किये माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेंर ने उन्हें सही माना। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्तावो पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकार सहमति से पारित डिक्री की अपील पोषणीय ही नहीं रहती। आदेशिका जब तक अपीलाण्ट उसे गलत साबित नहीं कर देते सही मानी जावेगी। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2021(1) पेज 734 व 2017(1) पेज 105 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 21.03.2018 को अग्रिम पेशी दिनांक 11.04.2018 नियत की गयी थी। परन्तु अपीलाधीन आदेश उससे पूर्व ही दिनांक 27.03.2018 को पारित कर दिया एवं विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पेशी दिनांक 21.03.2018 को अग्रिम पेशी दिनांक 11.04.2018 नियत की गयी थी। परन्तु अपीलाधीन आदेश, पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक 11.04.2018 से पूर्व ही दिनांक 27.03.2018 को पारित कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई अथवा विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने का अवसर नहीं मिला। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं एवं तहसीलदार द्वारा उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के लिये पृष्ठाकंन किया हुआ है। जबकि विभाजन के प्रकरणो में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना आज्ञापक है। इसके अलावा उक्त विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं तहसीलदार स्वयं पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित आराजी बाबत् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित कराते हुए, विभाजन प्रस्ताव तैयार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये, पुनः विधिसम्मत अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.01.2025 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)